

# Jaypee Institute of Information Technology, Noida

## NOTICE

November, 2020

### SCHOLARSHIP SCHEME OF U. P GOVERNMENT FOR ECONOMICALLY WEAK STUDENTS BELONGING TO STATE OF UTTAR PRADESH (2020-21)

Uttar Pradesh Government offers Scholarship's for Economical Weak Students (SC/ST/OBC/Minority and General Category). Annual Income from all sources for category (Post Matric)- OBC, Minority & General must not exceed more than Rs. 2,00,000/- & for category SC/ST must not exceed more than Rs. 2,50,000/-.

All eligible students are advised to apply online for the same and follow following steps:-

- a) Visit website <https://scholarship.up.gov.in> Fresh & Renewal Candidate - (revised Last date for applying extended to 15<sup>th</sup> December 2020)
- b) Fill the form in draft mode.
- c) Before freezing / submitting the form, if desirous, the student to forward the draft form to the registry for verifying the entered details.
- d) Kindly note, editing is not permitted after freezing / final submission.
- e) The student are solely responsible for the status of the application.
- f) Candidates to send self attested scanned copies in PDF format of the following documents for verification of fulfilling the criteria for the Scholarship on email to [deepak.gupta@jiit.ac.in](mailto:deepak.gupta@jiit.ac.in), after final submission of the application. (**without waiting for the last date**)

- COMPLETE APPLICATION FORM
- INCOME CERTIFICATE
- DOMICILE CERTIFICATE IN U.P
- CASTE CERTIFICATE (**If applicable**)
- AADHAAR CARD
- INSTITUTE ID CARD
- 10<sup>TH</sup> & 12<sup>TH</sup> / B.TECH/ M.TECH MARKSHEET
- COPY OF BANK A/C PASSBOOK
- INSTITUTE FEE RECEIPT

- g) For any further query contact 0120-2594133 (Mr. Deepak Gupta)



(Registrar)

Encl: Govt. Notice

**Registrar**  
Jaypee Institute of Information Technology  
Deemed University, U/S 3 of The UGC Act  
A - 10, Sector - 62, Noida (U.P.)

## नोटिस

निदेशालय, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या- सी-4630/ स०क०/ शिक्षा-अ/ 3/96/2019-20 दिनांक 03.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आनलाईन आवेदन वेरिफिकेशन के पश्चात सब्मिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रक्रिया में छात्र द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/ पति का नाम व लिंग तथा जन्मतिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ०टी०पी० भेजा जायेगा। उक्त ओ०टी०पी० को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त आवेदन-पत्र सब्मिट किया जा सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना है:-

1. सभी छात्रों के पास आधार नम्बर उपलब्ध होना चाहिये, जिन छात्रों के पास आधार नम्बर नहीं है, उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिये।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। तत्क्रम में आधार कार्ड को अपने मोबाईल नम्बर से लिंक करा लें।
3. हाई-स्कूल अंकपत्र/ प्रमाण-पत्र में अंकित अपने नाम तथा अपने माता-पिता/ पति का नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता-पिता/ पति का नाम अपडेट करा लें।
4. हाई-स्कूल अंकपत्र/ प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लें।
5. आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लें।

अवगत कराना है कि यदि कोई छात्र अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराता है तो आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति हेतु आनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगा, जिसके लिये छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

अतः आपसे अपेक्षा है कि सस्थान में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं में उपरोक्तानुसार व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें तथा सम्बंधित को व्हाट्सअप/ ई-मेल/ सूचना पट्ट पर चस्पा कर सूचित करना सुनिश्चित करें।

(शैलेन्द्र बहादुर सिंह)

जिला समाज कल्याण अधिकारी

गौतमबुद्धनगर

### कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक सी-1435/स०क०/ छात्रवृत्ति नोटिस/ 2019-20 दिनांक 13.03.2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. समस्त शिक्षण /संस्थान को अनुपालनार्थ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी

गौतमबुद्धनगर